मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त, 2002 (श्रावण 17, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री के.पी. सिंह, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (1-4-2000 से 31-3-2001) का चवालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चवालीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001, स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री रामपाल सिंह, सदस्य, मंदसौर स्थित जिला उपभोक्ता भण्डार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को वितरण हेतु प्राप्त अनाज की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर नगर निगम में एकाधिक आयुक्त पदस्थ होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) श्री भारत सिंह, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ इकतालीसवां से एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का उनचासवां से चौवनवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री राजनारायण सिंह, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन से सहमत है."

(४) श्री ग्यारसीलाल रावत, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय 30 मि.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री दीपक सक्सेना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 22 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में पंचायतराज एवं विकेन्द्रीकरण संबंधी स्टेटस रिपोर्ट के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए.के. पयासी
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 7 अगस्त, 2002